POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 20.09.2023

1.थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा, दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद।

घटना क्रम का विवरण--- दिनांक 20.09.23 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से अभियुक्त 1.राहुल पुत्र अनुज 2.अभिषेक पुत्र सुरेश को हरौला कार पार्किग के दक्षिणी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन चोरी के बरामद किये गये हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण---- अभियुक्त उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो दिल्ली, नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में मौका पाकर राह चलते व्यक्तियों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मौका पाकर राह चलते लोगों का मोबाइल फोन चुरा लेते है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 18.09.23 को हरौला मार्केट सेक्टर-5, नोएडा से 01 सैमसंग मोबाइल चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-1 पर मु0अ0सं0 474/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अब तक 200 मोबाइल फोन मैट्रो, बस अड्डो व घरों से चोरी करके बेच दिये गये हैं। ये लोग पेट्रोल पम्प व ढाबों पर खड़े ट्रक ड्राइवर आदि को अपनी मजबूरी बताकर चोरी के मोबाइल बेच देते हैं।

अभियुक्तों का विवरण-----

1.राहुल पुत्र अनुज निवासी मकनपुर खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जिला गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

2.अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी मकनपुर खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण---- मु0अ0सं0 474/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण---- 20 मोबाइल फोन चोरी के।

2. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस व आबकरी टीम द्वारा महंगी शराब में सस्ती शराब मिलाकर परोसने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 293 बोतल अंग्रेजी शराब व 395 बीयर की केन बरामद।

घटना क्रम का विवरण--- दिनांक 20.09.2023 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस व आबकरी टीम द्वारा महंगी शराब में सस्ती शराब मिलाकर परोसने वाले 02 अभियुक्त 1.मोहम्मद नवाज पुत्र इस्लामुदिन 2.महेश पुत्र बुढाई को क्लिंक रेस्टोरेंट एण्ड बार गार्डेन गेलेरिया नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 293 बोतल अंग्रेजी शराब व 395 बीयर की केन बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा

क्लिंक रेस्टोरेंट एण्ड बार, गार्डेन गेलेरिया में शराब परोसने के दौरान महंगी शराब के रूपये लेकर महंगी शराब में सस्ती शराब मिलाकर परोसने का कार्य किया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरण---- 1.मोहम्मद नवाज पुत्र इस्लामुदिन निवासी ग्राम श्रीपोखर, थाना चोपरा, जिला दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल।
2.महेश पुत्र बुढाई निवासी बंधु आखास, थाना गुरूबक्सगंज, जिला रायबरेली।

आपराधिक इतिहास का विवरण---- मु0अ0सं0 646/2023 धारा 420 भादवि 60 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-39, नोएडा।

बरामदगी का विवरण----- 1. 293 बोतल अंग्रेजी शराब 2. 395 बीयर की केन

3. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा फर्जी रूप से जीएसटी फर्म घोटाले में संलिप्त पिछले कई माह से फरार चल रहा ”25 हजार रूपये का इनामिया” अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना क्रम का विवरण--- दिनांक 20.09.2023 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेन्स व बीट पुलिसिंग के माध्यम से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर फर्जी रूप से जीएसटी फर्म घोटाले में संलिप्त पिछले कई माह से फरार चल रहा “25000 का इनामिया” अभियुक्त (1) आशीष एलावादी पुत्र स्व0 श्री नवीन एलावादी निवासी म0न0 412 बेगू रोड नियर चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल शिव मंदिर वाली गली कीर्ति नगर सिरसा हरियाणा को रजनीगंधा चौराहा नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त आशीष के गिरोह के 22 साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त आशीष एलावादी उपरोक्त के विरूद्ध थाना सेक्टर-20, नोएडा पर मु0अ0सं0 0203/2023, मु0अ0सं0 248/2023 व मु0अ0सं0 255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत है । विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्त आशीष के विरूद्ध “दिनांक 06.08.2023 को धारा 82 सीआरपीसी” की कार्यवाही भी की जा चुकी है एवं दिनांक 26.08.2023 को पुलिस उपायुक्त महोदय जोन नोएडा द्वारा 25000 का ईनाम घोषित किया गया था ।

अपराध करने का तरीका व प्रमुख तथ्य--- अभियुक्त द्वारा पिछले पांच वर्षों से फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड कर (ITC इंपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का अपराध कारित किया जा रहा था जिसमें पूर्व में इनके गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । यह अभियुक्त अपने गिरोह के साथ मिलकर फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध किया करते हैं । जिसमें फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेन्ट एग्रीमेन्ट, इलेक्ट्रीसिटी बिल आदि का उपयोग कर फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार करते थे तथा स्वंय द्वारा ही फर्जी जीएसटी फर्म को खरीद कर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड (आईटीसी इंपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड का चूना लगाते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण---- आशीष एलावादी पुत्र स्व0 श्री नवीन एलावादी निवासी म0न0 412 बेगू रोड नियर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल शिव मंदिर वाली गली कीर्ति नगर सिरसा हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग-

(1)मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
(2)मु0असं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
(3)मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।